P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-III*November-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

कन्या भ्रूण हत्या एवं मानवाधिकार

विजय लक्ष्मी मिश्रा
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी0 जी0 कालेज,
गोरखपुर

सारांश

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। यह एक व्यापक संकल्पना है, जिसमें दुनिया के तमाम बन्धनों को दर किनार रखकर ईश्वर की सर्वप्रथम रचना'मानव' को मात्र 'मानव' माना गया है। इसमें जाति , भाषा ,क्षेत्र ,लिंग व भेदभाव के बगैर समस्त मानव जाति की गरिमा का सम्मान मुख्य लक्ष्य है। द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त 1945 में समाप्त हुआ उसके बाद विश्व के कई राष्ट्रों ने विश्व शांति के लिये 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जो मानव के सुख और शांति के लिये सतत प्रयत्नशील है।

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार को स्वीकृति प्रदान की । इसमें 30 धारायें हैं । पहली दो धारायें नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारेां का निर्माण करतीं हैं तथा अन्य धारायें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा समान जीवन स्तर से सम्बन्धित अधिकारों का प्रावधान करती हैं। अतः मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण के लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्यों, राज्यों के राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन के लिये भारत की संसद ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। विशेष कर महिलाओं की स्थिति के सन्दर्भ में । महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित अनेक सवाल हैं जिनमें कन्या भ्रूण हत्या सर्वोपरि है। यह एक चिन्तनीय विषय है । समस्त विश्व के साथ– साथ हमारे देश में भी मातृशक्ति को कमजोर माना जाता रहा है। लिंग– भेद पर आधरित पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों पर अत्याचार और यातना की कहानी गर्भ के अन्दर से ही प्रारम्भ हो जाती है। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार एशिया में गर्भावस्था में बालक शिशुओं की अपेक्षा बालिका शिशुओं का जीवन विश्व के मानदण्डों के अनुसार कम है। सबसे बड़े लोकतंत्र देश भारत में कानूनी तौर पर भ्रूण की लिंग की जांच को अवैध घोषित किये जाने के बावजूद ऐसा लगातार खुलेआम हो रहा है। हत्या अपने आप में अपराध है, यही हत्या जब लिंग विशेष से जुड़ कर जन्म से पहले कन्या भ्रूण की हत्या का रुप धारण कर लेती है तो वह मानव समाज एवं मानव सभ्यता के लिए अपराध बन जाता है, परन्तु जिसने जन्म भी नहीं लिया ,उसकी हत्या ,वह भी लिंग भेद के आधार पर ,मानव सभ्यता के समक्ष चुनौती के रुप में मौजूद है। 1961 में 102.4 पुरुष पर 100 महिला, 1981 में 107.1 पुरुष पर 100 महिला, 2001 में 107. 8 पुरुष पर 100 महिला एवं 2011 में 108.8 पुरुष पर 100 महिला है।

यहां यह गौर करने वाली बात है कि कन्या भ्रूण हत्या की घटनायें , शहरी, शिक्षित तथा समूह वर्गों में ज्यादा पायी जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार 0–6 आयु वर्ग में राष्ट्रीय लिंगानुपात 914 है । यह लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 919 तथा शहरी क्षेत्रों में 902 है।

मानवाधिकार के प्रथम अनुच्छेद में वर्णित है कि 'सभी मानव प्राणी स्वतंत्र उत्पन्न हुये हैं अतः वह अधिकारों और महत्ता के क्षेत्र में समान हैं। उनमें विवेक और चेतना है। अतः उन्हे परस्पर भाई चारे के भाव से बर्ताव करना चाहिये।

मानवाधिकार के अनुच्छेद 3 में 'प्रत्येक प्राणी को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।'

मानवाधिकार के अनुच्छेद 5 में 'अमानवीय व्यवहार तथा यातना का निषेध किया गया है।'

मानवाधिकार के अनुच्छेद 6 के अनुसार 'हर व्यक्ति को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रुप में मान्यता प्राप्ति का अधिकार है'।

अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि संविधान के अन्तर्गत महिलाओं के उत्थान के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं और उनकी स्थिति में भी सुधार आया है। लेकिन समाज में उन्हे वांछित स्थान दिलाने में मानवाधिकार विशेष रुप से सक्रिय है। ये अधिकार तभी कारगर हो सकतें हैं जब हमारे सम्पूर्ण समाज की सोच , रवैये और पूर्वाग्रह पूर्ण धारणाओं में भी महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखी जाय।

मुख्य शब्द : कन्या भ्रूण हत्या , मानवाधिकार,जागरुकता ।

प्रस्तावना

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। यह एक व्यापक संकल्पना है, जिसमें दुनिया के तमाम बन्धनों को दर किनार रखकर ईश्वर की सर्वप्रथम रचना 'मानव' को मात्र 'मानव' माना गया है। इसमें जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग व भेदभाव के बगैर समस्त मानव जाति की गरिमा का सम्मान मुख्य लक्ष्य है। द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त 1945 में समाप्त हुआ उसके बाद विश्व के कई राष्ट्रों ने विश्व शांति के लिये 24 अक्टूबर 1945 को अमेंरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जो मानव सुख और शांति के लिये सत्त प्रयत्नशील है।

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार को स्वीकृति प्रदान की । इसमें 30 धारायें हैं । पहली दो धारायें नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों का निर्माण करती हैं तथा अन्य धारायें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक , शैक्षिक तथा समान जीवन स्तर से सम्बन्धित अधिकारों का प्रावधान करती हैं। अन्तिम तीन धाराओं में स्पष्ट किया गया है कि जो राष्ट्र इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य हैं उनके सभी नागरिक मानवाधिकार पाने के अधिकारी है।

जाति, भाषा, क्षेत्र एवं लिंग व रंग के भेदभाव के बगैर समूची मानव जाति की गरिमा के सम्मान को मुख्य ध्येय माना गया है। मानव के रुप में जन्म लेते ही मानवाधिकारों का हकदार हो जाता है। भारत 1966 के अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धों का एक सदस्य है। भारत ने इसमें निहित मानवाधिकारों के संरक्षण का दायित्व स्वयं लिया है। अतः मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण के लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्यों ,राज्यों के राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन के लिये भारत की संसद ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। कन्या को देवी, दुर्गा, लक्ष्मी की उपमा देने वाली भारतीय संस्कृति आज इतनी क्रूर और अमानवीय हो गयी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्त्री– पुरुष अनुपात तेजी से घट रहा है। कन्या की अस्मिता की रक्षा करना एक यक्ष प्रश्न बनकर सामने आ रहा है

उद्देश्य

1 प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य भारत मे कन्या भ्रूण हत्या की परिस्थितियों का अध्ययन करना।
2 इस घृणित कार्य को करने के कारण एवं निवारण का अध्ययन करना।
3 कन्या – भ्रूण हत्या रोकने में मानवाधिकार की भूमिका का अध्ययन करना।

कन्या भ्रूण हत्या

अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के परिणामस्वरुप संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय विधेयक के रुप में मान्यता मिल गयी। वैसे यह विडम्बना है कि मानवाधिकारों की घोषणा के बावजूद वर्षों के बाद भी दुनिया भर में करोड़ों व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकारों से वंचित है। करोड़ों व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरुरतों से भी मरहूम हैं। अरबों लोगों के पास चिकित्सा के सुविधाओं का अभाव है, कुपोषण के शिकार हैं। बाल–मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इसका कारण जिस गति से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उससे मानवाधिकार आयोग के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

मानवाधिकार की सुरक्षा के लिये 1961 में स्थापित संगठन 'एमनेस्टी इण्टरनेशनल की एक रिपोर्ट में पिछले दिनों कहा गया था कि दुनिया भर के करीब 120 देशों में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। भारत में भी सितम्बर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था इसका उद्देश्य भी मानवाधिकारों का संरक्षण व उनको प्रोत्साहन देना था। इस आयोग की स्थापना से एक उम्मीद जगी थी कि मानवाधिकार हनन के मामलों में अंकुश लगेगा लेकिन भारत में भी उल्टे बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है।

विशेष–कर महिलाओं की स्थिति के सन्दर्भ में । महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित अनेक सवाल हैं जिनमें कन्या भ्रूण हत्या सर्वोपरि है। यह एक चिन्तनीय विषय है । समस्त विश्व के साथ साथ हमारे देश में भी मातृशक्ति को कमजोर माना जाता रहा है। लिंग–भेद पर आधरित पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों पर अत्याचार और यातना की कहानी गर्भ के अन्दर से ही प्रारम्भ हो जाती है। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार एशिया में गर्भावस्था में बालक शिशुओं की अपेक्षा बालिका शिशुओं का जीवन विश्व के मानदण्डों के अनुसार कम है।सबसे बड़े लोकतंत्र देश भारत में कानूनी तौर पर भ्रूण की लिंग की जांच को अवैध घोषित किये जाने के बावजूद ऐसा लगातार खुलेआम हो रहा है।

कुछ कलुषित सामाजिक परम्पराओं और मान्यताओं के चलते भारतीय परिवार में बालिकाओं के प्रति अपनी संवेदनाओं को नकारते हुए माता के गर्भ में भ्रूणावस्था में ही समाप्त करने जैसे घृणित कार्य को कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है और आज बड़े पैमाने पर देश भर के कस्बों ,शहरों,और महानगरों में निजी क्लिनिकों में गर्भावस्था के प्रारम्भिक दिनों में भ्रूण परीक्षण हो रहें हैं तथा गर्भवती महिलाओं ,उनके परिजनों और डाक्टरों की मिली भगत से कन्या भ्रूण हत्यायें की जा रही हैं।

आज का समाज ईश्वर की इस अनमोल कृति के महत्व को समझ नही सका और उसे एक दोयम दर्जे का स्थान दिया। आज के प्रगतिशील युग में नारी की दयनीयता पहले की अपेक्षा बढ़ गयी है ,वह जितनी स्वाधीन हुयी है उससे अधिक कही पराधीन। बेतहाशा कन्या भ्रूण हत्या नारी के सामने अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। संभवतः ऐसी स्थिति पुरुष प्रधान समाज के कारण उत्पन्न हुयी है।

कन्या भ्रूण हत्या अर्थात नारी की जन्म पूर्व हत्या, यह संकुचित स्वार्थ की भावनात्मक तृप्ति से प्रेरित मानव सभ्यता का बदनुमा दाग है। भ्रूण ही भावी पीढ़ी का प्राथमिक बिन्दु होता है। नर और नारी दोनों के सम्मिलन से भ्रूण की उत्पत्ति होती है अर्थात भविष्य की बुनियाद पड़ती है। यही विकास की प्रक्रिया है। भविष्य की इस

बुनियाद भ्रूण हत्या वह भी यह जानकर की जाय कि वह मादा भ्रूण है, निश्चित रुप से मानव समाज के विकास को कुण्ठित करने की शर्मनाक घटना है। जिसने जन्म ही नही लिया उसकी हत्या वह भी जन्म देने वालों के द्वारा बहुत ही आश्चर्यजनक और घृणित घटना के रुप में मानव सभ्यता को दागदार कर रहा है। इसी कारण इस ज्वलंत मुद्दे ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर मानव कल्याण संस्थायें ,संगठनों और चिन्तनशील लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा ।

हत्या अपने आप में अपराध है , यही हत्या जब लिंग विशेष से जुड़ कर जन्म से पहले कन्या भ्रूण की हत्या का रुप धारण कर लेती है तो वह मानव समाज एवं मानव सभ्यता के प्रति अपराध बन जाता है इसी क्रम में अबला होने के कारण नारी की हत्या का कारण तो दिखायी पड़ता है, परन्तु जिसने जन्म भी नहीं लिया ,उसकी हत्या, वह भी लिंग भेद के आधार पर, मानव सभ्यता के समक्ष चुनौती के रुप में मौजूद है।

इस क्रूरतम अपराध का सबसे पहला प्रमाण ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सन् 1789 के लगभग पहली बार मिला था। तब बनारस के कमिश्नर डंकन ने राजपूतों के एक सम्प्रदाय का पता लगाया था जिसमें कन्याओं के पैदा होने पर तुरंत मार दिया जाता था। 1795 में कमिश्नर सर जान वाराणसी में नियुक्त हुये। उन्होने कानून बनाकर इस कुप्रथा पर पूर्ण रोक लगा दी। जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बालिका शिशु की हत्या को हत्या के बराबर ही मानकर दण्ड दिया जायेगा। फिर भी यह सिलसिला रुका नहीं ,पुनः 1808 में ब्रिटिश शासकों को एक ओर कानून बनाना पड़ा । सत्र 1839 में माउंट गोमरी इलाहाबाद में डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट बने तो इस कुप्रथा का रोकने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली

आजादी के बाद भी इन घटनाओं में वृद्धि होती रही। लेकिन अब अल्ट्रासाउण्ड जैसी आधुनिक मशीनों के आ जाने से गर्भस्थ शिशु के लिंग का आसानी से पता चल जाने की सुविधा ने इस कुप्रथा को गंभीर स्थिति में पहुँचा दिया। केवल एक लड़की होने के वजह से उसका समय पूरा होने के पहले ही कोख में एक बालिका भ्रूण को खत्म करना ही कन्या भ्रूण हत्या है। 1961 में 102.4 पुरुष पर 100 महिला, 1981 में 107.1 पुरुष पर 100 महिला , 2001 में 107.8 पुरुष पर 100 महिला एवं 2011 में 108.8 पुरुष पर 100 महिला है।

यहां यह गौर करने वाली बात है कि कन्या भ्रूण हत्या की घटनायें ,शहरी , शिक्षित तथा समूह वर्गों में ज्यादा पायी जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार 0–6 आयु वर्ग में राष्ट्रीय लिंगानुपात 914 है । यह लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 919 तथा शहरी क्षेत्रों में 902 है।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार बालिका शिशु तथा कन्या भ्रूणों की हत्या वास्तव में भारत में स्त्री पुरुषों की जनसंख्या में असन्तुलन का कारण बन रही है। रिर्पोट में कहा गया है कि अगर जन्म से पहले कन्याओं को मार डालने की घातक प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगायी गयी तो स्त्री पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात इतना कम हो जायेगा कि इसमें मानवाधिकार की समस्यायें तथा यौन अराजकता के पैदा हो जाने का भय है। कार्ल मार्क्स के अनुसार ''किसी समाज के स्तर को मापने के लिये उस समाज में स्त्रियों की स्थितियों को देखना चाहिये।'' अजंता ई0 चक्रवर्ती के अनुसार ''महिलाओं के प्रति हिंसा करने वाले इस हृदयहीन समाज में अजन्मी बेटियों का दर्द और हिंसा का इससे नायाब नमूना तो कोई हो नहीं सकता''।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण

कन्या भ्रूण हत्या के प्रमुख कारणों में वंश परम्परा को आगे बढ़ाने की चाह, बेटी को बोझ समझने की मानसिकता, महिलाओं का आर्थिक दृष्टि से कमजोर , अशिक्षित होना, कम उम्र में गर्भ धारण करना आदि प्रमुख है। जिनके कारण कन्या भ्रूण हत्या कर जन्म से ही पहले मानवाधिकार का हनन हो रहा है और यह भी हत्या की श्रेणी में आता है।

विज्ञान और तकनीकी के विकास के उपरान्त इस विधि में भी बदलाव आया है। पहले जन्मी बालिका के अधिकारों का हनन होता था परन्तु वर्तमान समय में यह प्रक्रिया उनके कोख में रहने पर ही प्रारम्भ कर दी जाती है। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने गर्भ में पल रहे शिशु के वंशानुगत रोंगों तथा अन्य असामान्य विकृतियों को जानने के लिये तथा उनके निदान के लिये एक तकनीकी का विकास किया जिसे एम्नियोसैंटेसिस, सोमोग्रॉफी या अल्ट्रासाउण्ड कहा गया किन्तु चिकित्सा विज्ञान की इस नयी और उपयोगी आविष्कार का गलत इस्तेमाल ज्यादा हुआ। इन आविष्कारों का उद्देश्य गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य एवं उसकी स्थिति जानने के लिये किया गया था। इससे मातृ–मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी हो गयी परन्तु इस तकनीकी का विकृत प्रयोग गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण में किया जाने लगा। आज समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किये जा रहे इस कुकृत्य के कारण बेटी का अस्तित्व जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर उसके मानवाधिकार समाप्त कर दिये जातें हैं।

पिछले एक शतक में भारत में स्त्री अनुपात में लगभग 39 प्रति हजार की कमी आ गयी है। इस अवधि में महिलाओं की साक्षरता दर में हुयी निरंतर वृद्धि और उनमें बढ़ रही जागरुकता का भी उनके अनुपात पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सका है। बल्कि उनका विपरीत प्रभाव ही परिलक्षित हो रहा है। इस सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि पारम्परिक पुत्र मोह तथा अल्ट्रासाउण्ड तकनीकी से लिंग परीक्षण की सुविधा के कारण भारत में कम से कम 5 लाख कन्या भ्रूणों की हत्या प्रतिवर्ष होती है।

गर्भपात का कानूनी प्रावधान

गर्भपात के लिये कानूनी प्रावधानों में M.T.P. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी कानून के अन्तर्गत 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वयस्क महिला अपनी इच्छा से गर्भपात करा सकतीं हैं। इसके लिये पति का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। परन्तु किसी भी परिस्थिति में 5 महीने का गर्भपात कराना गैरकानूनी है। भारत में गर्भपात के असुरक्षित तरीके

अपनाने के कारण प्रतिवर्ष औसतन 12.5% महिलाओं की मृत्यु ही जाती है।

इसी कारण कानूनी गर्भपात प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग माना गया । महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात के जोखिम से बचाने के लिये गर्भपात की कानूनी इजाजत दी गयी । इस कानून का उद्देश्य था –

1 यदि अस्वस्थ्य बच्चे के जन्म की संभावना हो।
2 लगातार गर्भधारण से मां के स्वास्थ्य को खतरा हो।
3 गर्भनिरोधक उपाय की विफलता की स्थिति में ।
4 बलात्कार के कारण गर्भ ठहरने की अवस्था में।
5 यदि स्त्री बिन ब्याही मां बनने वाली हो।

लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका गलत इस्तेमाल हुआ । यदि उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त किसी भी कारण से भ्रूण हत्या की जाती है वह एक अमानवीय तथा गहन सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता है। कानूनी व्यवस्था के बाद भी पूरी तरह से कन्या भ्रूण हत्या रुकने का नाम नही ले रही है और यदि पिछले दशकों में देखा जाय तो लड़कियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है।

कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम

कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणों को देखा जाय तो यदि कन्याओं की संख्या दिन प्रतिदिन इसी प्रकार घटती रही तो यह समस्या और भी विकराल हो जायेगी। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि महिलाओं के प्रति यौन हिंसा में बढ़ोतरी होगी। इसके दुष्परिणामों में –

1 नैसर्गिक सन्तुलन का बिगड़ना।
2 महिलाओं की घटती संख्या से सामाजिक ढ़ांचे में बिखराव।
3 मानवीय मूल्यों का ह्रास ।
4 यौन हिंसा में वृद्धि।
5 समाजिक संरचना पर विपरीत प्रभाव।
6 बहुपति प्रथा को प्रोत्साहन।
7 घटता लिंगानुपात समलैंगिक सामाजिक दुर्व्यवहार को जन्म देगा।

इस प्रकार कन्या भ्रूण हत्या के प्रति बढ़ती अरुचि समाज को एक ऐसे अन्धकूप की ओर ले जा रही है जिसके बारे में अत्यन्त सटीक भविष्यवाणी करना कठिन है । परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि यह मानव समाज की प्रतिष्ठा , गरिमा, व्यवस्था तथा मूल्यों के लिये घातक सिद्ध होगा। आवश्यकता है इस ज्वलंत मुद्दे के निदान की।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उपाय

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं–

1 समाजिक मान्यताओं, दृष्टिकोंणों तथा मूल्यों को एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिये समाज एवं स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना चाहिये।
2 P. N. D. T. 1994 को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि कानून की मंशा व्यवहार में प्रभावी तरीके से दिखायी दे।
3 चिकित्सकों को स्वयं नैतिक रुप से अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुये आगे आना चाहिये। ताकि इस अमानवीय कृत्य से मुक्ति मिल सके।
4 महिलाओं में राजनीतिक चेतना का स्तर बढ़ाने की दिशा में गम्भीर प्रयास करके इस बिडम्बना से मुक्ति दिलायी जा सकती है।
5 विभिन्न क्षेत्रों के सर्वोच्च स्थानों पर पहुंची महिलाओं को आगे आना चाहिये ताकि वे समाज को यह सन्देश दे सकें कि कन्यायें पुरुषों से कम नहीं हैं।
6 विभिन्न धर्माचार्यों, प्रतिष्ठित समाज–सुधारकों तथा चिकित्सा परिषद् सदृश संगठनों को आगे आकर मानवीय संवेदना को जगाने का प्रयास करना चाहिये।
7 मीडिया द्वारा लोगों में जनजागरुकता लाना।
8 दहेज के प्रति जागरुकता लाना।
9 इस ज्वलंत समस्या के निदान में महिला आयोग, सामाजिक आधिकारिता मंत्रालय,मानवाधिकार आयोग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिये।

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कन्या भ्रूण हत्या के अनेक कारण हैं साथ ही इसके समाधान के अनेक उपाय भी। आवश्यकता है सही रणनीति के तहत कार्य करने की। सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों को इस दिशा में शीघ्र पहल करनी चाहिये क्योंकि इस समस्या के जड़ में यह है कि पढ़े लिखे लोग कन्या भ्रूण हत्या में अनपढ़ एवं गरीब से ज्यादा सक्रिय हैं। देश की साक्षरता दर के साथ –साथ कन्या भ्रूण हत्या भी बढ़ती जा रही है।

22 जनवरी 2015 में पानीपत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये बेटियों के गिरते अनुपात पर चिन्ता व्यक्त करते हुये इसे राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक बताया और इस समस्या के समाधान हेतु मौजूदा कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के साथ साथ लोगों के बीच जागरुकता फैलाने का आहवान किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जब तक हम 18वीं शताब्दी की मानसिकता में है। तब तक हमें अपने को 21 वीं सदी का नागरिक कहने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुये बेटा और बेटी के बीच फर्क नहीं करने का आहवान किया कि यह भ्रूण हत्या पर विराम लगाने के लिये सबसे अधिक जरुरी है।

कन्या भ्रूण हत्या एवं मानवाधिकार

समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का ही समान महत्व है। समाज का सर्वंगीण विकास तभी सम्भव है जब व्यक्ति के विकास में मानवाधिकारों की भूमिका सार्थक रुप से लागू की जाय। सभ्य समाज में दैहिक व मानसिक दोनो रुप से स्त्री के मानवाधिकारों की सुरक्षा पूर्णरुपेण की जाये तो समाज की ,संस्कृति की रक्षा हो सकती है। भारत में मानवाधिकारों को भारतीय संविधान के तीसरे व चौथे अनुच्छेद में संवैधानिक स्थिति प्राप्त है , फिर भी मानवाधिकारों की उल्लंघन समाज में प्रतिदिन दिखायी

देता है। विशेष तौर पर स्त्रियों के प्रति ,क्योंकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है और समाज में सदैव स्त्रियों को दोयम दर्जा दिया जाता है। यही कारण है कि अपने मानवाधिकारों के लिये स्त्रियों को अधिक संघर्ष करना पड़ता है।

आजकल महिलायें प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की प्रतियोगी हैं फिर भी वह पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हैं । मानवाधिकार के प्रथम अनुच्छेद में वर्णित है कि ' सभी मानव प्राणी स्वतंत्र उत्पन्न हुये हैं अतः वह अधिकारों और महत्ता के क्षेत्र में समान हैं। उनमें विवेक और चेतना है। अतः उन्हे परस्पर भाई–चारे के भाव से बर्ताव करना चाहिये। इस आधार पर मानवाधिकार सभी जन्मे एवं अजन्मे शिशु के अस्तित्व की रक्षा की बात करता है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण कन्या को संसार में आने से रोकने के लिये गर्भावस्था में जांच करवाकर भ्रूण हत्या करने के प्रयास किये जाते हैं और कई बार पैदा होते ही मार दिये जाने की घटनाओं में कन्या के साथ साथ मानवाधिकार का भी हनन किया जाता है।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार बालिका शिशु तथा कन्या भ्रूणों की हत्या वास्तव में भारत में स्त्री पुरुषों की जनसंख्या में असन्तुलन का कारण बन रही है। रिर्पोट में कहा गया है कि अगर जन्म से पहले कन्याओं को मार डालने की घातक प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगायी गयी तो स्त्री पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात इतना कम हो जायेगा कि इसमें मानवाधिकारों की दूसरी समस्याओं के साथ साथ यौन अराजकता के पैदा होने का भय रहेगा।

कन्या भ्रूण हत्या सीधे सीधे एक अजन्मे शिशु के अधिकारों का हनन भी है। यह भी मानवाधिकार की अवहेलना की श्रेणी में आता है। उस अजन्में बच्ची को भी दुनिया में आने का अधिकार है, अपने माता पिता के स्नेह का अधिकार है, वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो जन्म लेने वाले बालक को है । यदि हम मां के गर्भ में ही कन्या भ्रूण हत्या करतें है तो यह भी मानवधिकार के हनन की श्रेणी में आता हैं। लक्ष्मी , सरस्वती, दुर्गा को पूजने वाला समाज यदि जननी को जन्म नहीं लेने देगा तो जगत का सृजन कैसे होगा ?

विज्ञान और तकनीकी के विकास के उपरान्त इस विधि में भी बदलाव आया । पहले जन्मी बालिका का हनन होता था परन्तु वर्तमान समय में यह प्रक्रिया उनके कोख में रहने पर ही प्रारम्भ कर दी जाती है। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने गर्भ में पल रहे शिशु के वंशागत रोगों तथा अन्य असामान्य विकृतियों को जानने के लिये तथा उनके निदान के लिये एम्नियासैंटेसिस , सोनोग्रॉफी , अल्ट्रासाउण्ड का विकास किया गया,परन्तु इसका गलत इस्तेमॉल ज्यादा हुआ। आज समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किये जा रहे इस कुकृत्य के कारण बेटी का अस्तित्व जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर उसके मानवाधिकार समाप्त कर दिये जातें हैं। जबकि मानवाधिकार का अनुच्छेद 3 'प्रत्येक प्राणी को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।' ऐसा कह कर प्रत्येक चर – अचर,के जीवन रक्षा की बात करता है। चाहे वह अजन्मी बालिका ही क्यों न हो।

बीसवीं सदी तक नारी का उत्पीड़न जैसे पर्दा प्रथा ,सती प्रथा ,बाल बिवाह , बहु विवाह के द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जाता था। परन्तु आज स्थिति और भी भयावह है। मानवाधिकार के अनुच्छेद 5 में ' अमानवीय व्यवहार तथा यातना का निषेध किया गया है।' लेकिन गर्भपात के दौरान अमानवीय कृत्य भी किया जाता है तथा अजन्मी बालिका का गला भी घोंट दिया जाता है। गर्भावस्था से ही कन्याभ्रूण हत्या कर उसके अधिकारों को जन्म से पहले ही समाप्त करने का घृणित कार्य किया जा रहा है।

कन्या भ्रूण हत्या कई दिशाओं से मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन की सीमा में आती है। यह एक ऐसा अपराध है जो भावी समाज के लिये खतरा बन रहा है । यह कृत्य सर्वप्रथम तो गर्भवती महिलाओं के मौलिक अधिकारों का खुला हनन कर रहा है , उन्हें भी अपने गर्भस्थ शिशु को जन्म देने का अधिकार है वह यदि चाहती है कि अपनी कन्या भ्रूण को जन्म देना तो यह उसका अधिकार उसे अवश्य ही प्राप्त होना चाहिये।

दूसरे गर्भ में पलने वाली शिशु कन्या को जीवित रखने के अधिकार से वंचित कर हत्या के अपराध का कारण बन रहा है। यह गर्भस्थ शिशु के मानवाधिकारों का हनन है। यदि जब प्राण युक्त गर्भस्थ शिशु को इस दुनिया में आने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो मानवाधिकार की संकल्पना भी बेमानी होगी।

तीसरे यदि स्त्री पुरुषों की जनसंख्या के अनुपात में असंतुलन से यह आशंका उत्पन्न हो रही है कि भविष्य में यौन अराजकता फैल सकती है। समाज में अपहरण, व्याभिचार एवं यौन अपराधों में वृद्धि हो सकती है। समाज को चारो तरफ से स्त्री पुरुष असन्तुलन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सामाजिक अपराध में वृद्धि होने एवं महिलाओं की संख्या कम हो जाने से समाज को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

समाज में व्याप्त कुरीतियों के कारण महिलाओं के मानवाधिकार के संरक्षण के लिये 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी है। कन्या भ्रूण हत्या एक महिला के अधिकारों का उल्लंघन है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग को सक्रिय एवं सशक्त कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त हैं। महिलाओं एवं महिला संगठनों का दायित्व है कि वे इस विषय में गम्भीरता से सोंचे तथा अपने सम्मान तथा अपने जीवित रहने के मूल अधिकारों की सुरक्षा तथा मानवाधिकार के प्रति आवाज उठायें। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिये एवं जनसंख्या पर अंकुश लगााने की आड़ में इस अराजकता को सहन नहीं किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रुप में कह सकतें हैं कि इस अमानवीय क्रिया में जाने कितनी बेटियां आज भी यूँ अजन्मी दुनिया देखने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत कर दी जाती हैं। कहने को हम 21वीं सदी के जेट युग में जी रहें हैं किन्तु बेटा– बेटी में फर्क में आज भी

यथावत है। प्रत्येक वर्ष अनेक मंचों से कर्तव्य अधिकार की बातें ही क्या करें जब उसे जन्म लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है। कोख में स्त्री के आने की आहट ही बर्दाश्त नहीं होती और गर्भ में ही उसके अस्तित्व को मिटा दिया जाता है । अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि संविधान के अन्तर्गत महिलाओं के उत्थान के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं और उनकी स्थिति में भी सुधार आया है। लेकिन समाज में उन्हे वांछित स्थान दिलाने में मानवाधिकार विशेष रुप से सक्रिय है। ये अधिकार तभी कारगर हो सकतें हैं जब हमारे सम्पूर्ण समाज की सोच, रवैये और पूर्वाग्रह पूर्ण धारणाओं में भी महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखी जाय। जबकि मानवाधिकार के अनुच्छेद 6 के अनुसार ' हर व्यक्ति को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रुप में मान्यता प्राप्ति का अधिकार है'।

इस अमानवीय क्रिया को दूर करने के लिये अनिवार्य है कि देश में महिलाओं के मानवाधिकरों की महत्ता को समझा जाय तथा महिला मानवाधिकार संरक्षण प्रदान किया जाये। पुलिस तथा महिलाओं दोनों को कानून तथा मानवाधिकारों की जानकारी दी जाय। महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार विषय पर संगोष्ठिया, सार्वजनिक सम्मेलनों, भाषण, समाचार, लेख आदि सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के सन्दर्भ में सामाजिक जागरुकता लाने के लिये महिलाओं की शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। वे शिक्षित होकर अपने मानवाधिकारों को स्वयं समझ सकें तथा व्यर्थ में प्रताड़ित या शोषित होने पर आवाज उठा सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1 डा0 सिंह ,संजय संविधान और मानवाधिकार , दिल्ली पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली। संस्करण 2010
2 प्रो0 त्रिपाठी, मधुसूदन संविधान और महिला अधिकार,दिल्ली खुशी पब्लिकेशन। 2011
3 प्रो0 त्रिपाठी, मधुसूदन भारत में मानवाधिकार, दिल्ली ओमेगा पब्लिकेशन। संस्करण 2010
4 डा0 जौहरी, रचना महिला उत्पीड़न अर्जुन पब्लिकेशन्स हाउस नई दिल्ली। संस्करण 2009
5 मौर्य , शैलेन्द्र भारत में महिला मानवाधिकार, जयपुर पब्लिकेशन्स। संस्करण 2013
6 डा0 सिन्हा,आभा रानी मादा भ्रूणहत्या, प्राच्य प्रकाशन, अशोक राजपथ,चौहट्टा प्रकाशन, पटना।
7 डा0 टण्डन, उमा रानी दीयमान भारतीय समाज में शिक्षक आलोक प्रकाशन, लखनउ।
8 योजना सितम्बर 2016।
9 कुरुक्षेत्र जनवरी 2016।